

आवश्यक सूचना

बिहार राज्य भंडार निगम अन्तर्गत मुख्य अभियंता के पद पर कार्य करने हेतु सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थानों से सेवानिवृत्त पदाधिकारी का पैनेल निगम स्तर पर निर्माण कर उसी पैनेल से निगम स्तरीय समिति के माध्यम से आवश्यकतानुसार संविदा पर नियोजन किया जाना है। अतएव बिहार राज्य भंडार निगम (पता- बी-2, प्रथम तल, मौर्यलोक, पटना-01) सरकारी / अर्द्ध सरकारी संस्थानों से सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद पर जिनकी आयु दिनांक 01.01.2025 को 62 वर्ष से कम हो, से पैनेल निर्माण के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन आनलाईन अथवा निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित करता है:-

क्र.	पदनाम	पद की संख्या	अनुभव -अहर्ता
1.	मुख्य अभियंता (असैनिक)	01	1. सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थान से मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी। 2. भवन/औद्योगिक भवन/प्री इन्जिनियर्ड संरचनाओं के निर्माण कार्य का अनुभव।

आवेदक का उपर्युक्त पदानुसार कार्य का न्यूनतम 02 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। समाचार पत्रों में यह विज्ञप्ति प्रकाशित होने की अगली तिथि से 15 (पन्द्रह) कार्य दिवसों के अन्दर Online/ पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से विहित प्रपत्र में ही आवेदन स्वीकार किये जाएंगे। आवेदन के साथ सेवानिवृत्ति एवं अनुभव तथा अन्य संबंधित कागजातों/प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक उत्तरदायी होंगे।

अहर्ता एवं शर्तें निम्नवत् है:-

- चयन का आधार:-** सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थान से मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी का चयन पैनेल में किया जायेगा।
- पैनेल:-** पैनेल बिल्कुल अस्थायी होगा एवं सम्प्रति इसकी वैधता एक वर्ष की होगी। आवश्यकतानुसार अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। पैनेल का निर्माण निगम स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। आवेदक को साक्षात्कार निमित्त समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार हेतु मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
- आयु सीमा:-** अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना दिनांक 01.01.2025 के आधार पर की जायेगी। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 62 वर्ष से कम होना चाहिए।
- योग्यता एवं अनुभव:-** मुख्य अभियंता (असैनिक) पद के आवेदक उक्त पद से सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, भवन निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता को प्राथमिकता दी जायेगी।
- वरीयता आधार:-** पैनेल निर्माण में निम्नलिखित पहलुओं पर वरीयता दी जायेगी:-
(क) सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संस्थानों से सेवानिवृत्त पदाधिकारी।
(ख) मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद पर कार्य अनुभव धारक।
(ग) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य खाद्य निगम एवं राज्य भंडार निगम से सेवानिवृत्त पदाधिकारी।
- संविदा:-** निर्मित पैनेल से आवश्यकतानुसार संविदा पर कार्य करने के लिए चयन समिति द्वारा अनुशासित सुयोग्य पदाधिकारी से अनुबंध किया जायेगा। प्रबंध निदेशक / सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी एवं सम्यक निर्णय लिया जायेगा।
- मानदेय:-** (क) संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई राहत की

राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परन्तु पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान होता रहेगा।

(ख) अर्द्ध सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त आवेदक जिनका नियोजन निर्मित पैनल से संविदा पर किया जायेगा को सेवानिवृत्ति के समय अनुमान्य पे बैण्ड का प्रारम्भिक वेतन + उस प्रारम्भिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य मंहगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा परन्तु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन एवं उसपर अनुमान्य मंहगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगा। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय वेतन + मंहगाई भत्ता के योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य होगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।

इस प्रकार अनुबंध परिलब्धियों में सभी भत्ता समाहित होगा।

सेवानिवृत्त एवं संविदा नियोजन के बीच वेतन / पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

8. मार्ग व्यय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार देय होगा परन्तु संस्थान का वाहन प्रयोग किए जाने की स्थिति में मार्ग व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त आवेदक को पी.पी.ओ. की प्रति अनिवार्यतः समर्पित करना होगा। अर्द्ध सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त आवेदक को सेवानिवृत्ति के समय पे बैण्ड का प्रमाणक देना होगा।
10. सेवानिवृत्त आवेदक को अन्तिम पदस्थापन संस्थान से निर्गत स्वच्छता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
11. पैनल में सम्मिलित होने हेतु संबंधित आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा।
12. निर्मित पैनल से संविदा पर कार्यरत पदाधिकारी को सरकारी सेवकों की सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।
13. निर्मित पैनल से नियोजित पदाधिकारी को सरकारी सेवकों को देय सुविधायें अनुमान्य नहीं होगा।
14. जैसे आवेदक जिनपर कोई निगरानी का मामला / विभागीय कार्यवाही / गंभीर आरोप विचाराधीन / दण्डअध्यारोपित हो / अपराधिक मामला दर्ज हों का चयन पैनल में नहीं किया जायेगा।
15. निर्मित पैनल से संविदा पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे।
16. संविदा पर नियोजन के उपरान्त यदि नियोजित पदाधिकारी का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
17. निर्मित पैनल में किसी भी प्रकार का विवाद/शिकायत पर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम/सक्षम प्राधिकार का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
18. बिना कारण बताये प्रकाशित सूचना में किसी भी प्रकार का संशोधन करने/इसे स्थगित करने एवं रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा जो अन्तिम एवं मान्य होगा।
19. आवेदन के साथ सेवानिवृत्ति एवं अन्य संबंधित कागजातों/प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
20. पूर्ण आवेदन यथावश्यक अभिलेखों के साथ समाचार पत्रों में यह विज्ञप्ति प्रकाशित होने की अगली तिथि से 15 (पन्द्रह) कार्य दिवसों के अन्दर ही स्वीकार होगा।
21. निर्मित पैनल के आधार पर चयन समिति द्वारा संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित सुयोग्य पदाधिकारी को उनके द्वारा समर्पित कागजात/अभिलेखों के सत्यापन हेतु अलग से सूचना दी जायेगी।

प्रबंध निदेशक
बिहार राज्य भंडार निगम